न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून
प्रकीर्ण वाद संख्या–1549 / 2026
सिम्मी श्रीवास्तव बनाम चन्द्रपाल शर्मा व अन्य

अन्तर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अन्तर्गत थाना–प्रेमनगर, देहरादून।
दिनांकः 20.06.2026

प्रकीर्ण पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 विपक्षीगण चन्द्रपाल शर्मा, स्वाति शर्मा, स्वपना शर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। पूर्व तिथि पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री रिंकू राणा को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।–

2. प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मय शपथ पत्र अदिनांकित संक्षेप में कथन इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का पति श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव निवासी– वार्ड नं० 4, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, देहरादून स्थित अपने मकान में निवास करते है व प्रार्थिनी के घर के सामने चन्द्रपाल शर्मा पुत्र टीकाराम शर्मा निवासी वार्ड नं0 4, सुद्धोवाला प्रेमनगर, देहरादून अपने परिवार के साथ निवासरत है। दिनांक 22.02.2026 को चन्द्रपाल शर्मा की मौजूदगी में चन्द्रपाल शर्मा की पत्नी स्वाती शर्मा द्वारा प्रार्थिनी के साथ लडाई झगडा व गाली गलौच कर प्रार्थिनी का गला दबाने की कोशिश की गई, जिसे प्रार्थिनी की पुत्री ने किसी तरह चन्द्रपाल शर्मा व उसकी पत्नी स्वाती शर्मा से प्रार्थिनी को बचाया व प्रार्थिनी के पास उक्त घटना की वीडियो रिकार्डिगं मौजूद है, जिसमें चन्द्रपाल शर्मा व स्वाती शर्मा द्वारा किए गए उक्त वर्णित कृत्य मौजूद है। दिनांक 09.03.2026 को समय लगभग 03:45 बजे दोपहर के समय जब प्रार्थिनी का पति श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव दुकान से अपने घर पर आ रहे थे तो चन्द्रपाल शर्मा ने अचानक प्रार्थी के पति पर मशांगत जान से मारने की नियत से हमला कर दिया व प्रार्थिनी के पति को पकडकर धक्का–मुक्की करने लगे व प्रार्थिनी के पति का चश्मा खींच लिया व उसने अपने हाथो से तोड़ दिया व प्रार्थिनी के पति मां बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगा, जिससे घबराकर प्रार्थिनी का पति अपने घर के अन्दर चला गया व अन्दर से गेट बन्द कर लिया। उसके बावजूद भी चन्द्रपाल शर्मा ने प्रार्थिनी के मेन गेट पर लात मारी व जबरन प्रार्थिनी के घर में घुस कर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया व प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को जान से मारने की धमकी दी, जिससे प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का पति अत्यंत घबरा गए। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थिनी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया। दिनांक 26.03.2026 को दोपहर के समय लगभग 02:45 बजे चन्द्रपाल शर्मा की पत्नी स्वाती शर्मा प्रार्थिनी के घर के सामने

रखे गमलों व पेड पोधौ को तोडने का प्रयास करने लगी जिसे प्रार्थिनी की पुत्री आयुशी श्रीवास्तव द्वारा बडी मुश्किल से रोका गया। दिनांक 28.03.2026 को दोपहर के समय लगभग 03:30 बजे पूर्व की भांती चन्द्रपाल शर्मा की पत्नी स्वाती शर्मा अपने घर से प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार को मशांगत बुरा भला बोलती हुई व गाली गलौच करती हुई प्रार्थिनी के घर के मेन गेट के पास आई व प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थिनी के घर के बाहर रखे गमलों में तोडफोड कर उनमें रखे पेड़ पोधों को उखाड़ कर फेंकना शरू कर दिया। स्वाती शर्मा द्वारा की जा रही तोडफोड को देख कर प्राथिनी के घर के पास में रहने वाली महिला मीना यादव प्रार्थिनी के घर पर आयी व प्रार्थिनी की पुत्री को बताया की स्वाति शर्मा द्वारा प्रार्थिनी के घर के मेन गेट के पास रखे गमलों में तोडफोड की जा रही है, तभी प्रार्थिनी की पुत्री मौका पर आयी व स्वाती शर्मा को तोडफोड करने से मना करने लगी परन्तु स्वाती शर्मा नहीं मानी व प्रार्थिनी की पुत्री द्वारा रोके जाने पर वह प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पूरे परिवार व मीना यादव को गालियां देती रही व मीना यादव को जान से मरवाने की धमकी दी। जिसकी सूचना प्रार्थिनी द्वारा डायल 112 पर फोन कर व पुलिस चौकी झाझरा पर की गई सूचना मिलने के उपरांत पुलिस मौका पर आई व चन्द्रपाल शर्मा व उसकी पत्नी स्वाती शर्मा को भविष्य में ऐसी हरकत करने से मना किया। प्रार्थिनी द्वारा पूर्व में भी चन्द्रपाल शर्मा के विरूद्ध माननीय न्यायालय देहरादून में एक परिवाद, परिवाद स० 221 / 2024 योजित किया गया है जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालय ए०सी० जे०एम० पंचम में लम्बित है व जिसमें प्रार्थिनी का पति अनिल कुमार श्रीवास्तव, पुत्री आयुशी श्रीवास्तव व मीना यादव बतौर गवाह है। चन्द्रपाल शर्मा, स्वाति शर्मा व उनकी पुत्री अक्सर किसी न किसी बहाने से प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति के साथ लडाई–झगडा करने का अवसर ढूंढते रहते व प्रार्थिनी पर उक्त लम्बित वाद को वापिस लेने का दबाव बनाते है व प्रार्थिनी के घर के पास में रहने वाली महिला मीना यादव के साथ भी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते है और कहते है की तूने अगर हमारे खिलाफ न्यायालय में गवाही दी तो हम तुझे व तेरे परिवार को जान से मारवा देगें। चन्द्रपाल शर्मा एक अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। चन्द्रपाल शर्मा, स्वाति शर्मा व उनकी पुत्री अकारण ही लगातार प्रार्थिनी के परिवार के सदस्यों के साथ लडाई झगडा कर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हैं व उक्त परिवाद के गवाह मीना यादव व उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी देते है, जिस कारण प्रार्थिनी को आशंका है कि चन्द्रपाल शर्मा, स्वाति शर्मा व उनकी पुत्री कभी भी प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की पत्नी के साथ किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है, जिस कारण प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को अपनी जान का खतरा उत्पन्न हो गया है। उक्त सभी घटनाक्रम की सी०सी०टी०वी० रिकार्डिगं प्रार्थिनी के पास मौजूद है। उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी व उसके परिवार के साथ किये जा रहे लडाई झगडा, गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के एवज में प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 02.04.2026 को

पुलिस थाना प्रेमनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया व दिनांक 18 / 03 / 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला देहरादून को दिया, जिसमें थाना नेहरू कॉलोनी की पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिस कारण प्रार्थी की माननीय न्यायालय की शरण में आने की आवश्यक्ता पडी। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना प्रेमनगर को आदेशित करने की प्रार्थना की गई।

3. प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में शपथ पत्र अदिनांकित एवं दस्तावेज जिसमें फोटोग्राफ्स का0सं0 4क / 5 लगायत 4क / 11, पैन ड्राईव का0सं0 4क / 12, थानाध्यक्ष थाना प्रेमनगर देहरादून को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.04.2026 का0सं0 4क / 13 लगायत 4क / 15, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.04.2026 का0सं0 4क / 16 लगायत 4क / 18 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थाना प्रेमनगर, देहरादून से आख्या मंगाई गयी। थाना–प्रेमनगर, देहरादून द्वारा दिनांक 23.05.2026 को इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ''प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।''

5. पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिनी की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः कथन किये गये हैं कि ''प्रार्थिनी के घर के सामने चन्द्रपाल शर्मा अपने परिवार के साथ निवासरत है। दिनांक 22.02.2026 को चन्द्रपाल शर्मा की मौजूदगी में चन्द्रपाल शर्मा की पत्नी स्वाती शर्मा द्वारा प्रार्थिनी के साथ लडाई झगडा व गाली गलौच कर प्रार्थिनी का गला दबाने की कोशिश की गई जिसे प्रार्थिनी की पुत्री ने प्रार्थिनी को बचाया व प्रार्थिनी के पास उक्त घटना की वीडियो रिकार्डिगं मौजूद है। दिनांक 09.03.2026 को समय लगभग 03:45 बजे दोपहर के समय जब प्रार्थिनी का पति श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव दुकान से अपने घर पर आ रहे थे तो चन्द्रपाल शर्मा ने अचानक प्रार्थी के पति पर मशांगत जान से मारने की नियत से हमला कर प्रार्थिनी के पति को पकडकर धक्का–मुक्की करने लगे व प्रार्थिनी के पति मां बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगा, जिससे घबराकर प्रार्थिनी का पति अपने घर के अन्दर चला गया। उसके बावजूद भी चन्द्रपाल शर्मा ने प्रार्थिनी के मेन गेट पर लात मारी व जबरन प्रार्थिनी के घर में घुस कर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया तथा प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को जान से मारने की धमकी दी। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थिनी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 26.03.2026 को दोपहर के समय लगभग 02:45 बजे चन्द्रपाल शर्मा की पत्नी स्वाती शर्मा प्रार्थिनी के घर के सामने रखे गमलों व पेड पोधौ

को तोडने का प्रयास किया तथा दिनांक 28.03.2026 को दोपहर के समय लगभग 03:30 बजे पूर्व की भांती चन्द्रपाल शर्मा की पत्नी स्वाती शर्मा अपने घर से प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार को गाली गलौच करती हुई प्रार्थिनी के घर के मेन गेट के पास आई व प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थिनी के घर के बाहर रखे गमलों में तोडफोड कर उनमें रखे पेड़ पोधों को उखाड़ कर फेंकना शरू कर दिया। प्रार्थिनी की पुत्री द्वारा रोके जाने पर वह प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पूरे परिवार व मीना यादव को गालियां देती रही व मीना यादव को जान से मरवाने की धमकी दी। जिसकी सूचना प्रार्थिनी द्वारा डायल 112 पर फोन कर व पुलिस चौकी झाझरा पर ही गई सूचना मिलने के उपरांत पुलिस मौका पर आई व चन्द्रपाल शर्मा व उसकी पत्नी स्वाती शर्मा को भविष्य में ऐसी हरकत करने से मना किया। उक्त सभी घ टनाक्रम की सी०सी०टी०वी० रिकारर्डिगं प्रार्थिनी के पास मौजूद है। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में फोटोग्राफ्स का0सं0 4क / 5 लगायत 4क / 11,पैन ड्राईव का0सं0 4क / 12, थानाध्यक्ष थाना प्रेमनगर देहरादून को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.04.2026 का0सं0 4क / 13 लगायत 4क / 15, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.04.2026 का0सं0 4क / 16 लगायत 4क / 18 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध घटित होना परिलक्षित होता है, जिसकी विवेचना पुलिस के माध्यम से कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार, प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किये जाने योग्य है–

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थिनी सिम्मी श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अदिनांकित स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली–प्रेमनगर, जिला–देहरादून को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ सक्षम अधिकारी से अन्वेषण कराना सुनिश्चित करें।

8. इस आदेश की एक प्रति मय प्रार्थना पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों सहित सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अनुपालनार्थ अविलम्ब प्रेषित किये जाये।

9. बाद आवश्यक कार्यवाही, पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाए।

(साहिस्ता बानों)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।